कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थायें/व्यक्तियों/कंपनियां अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 11–01–2023 को दोपहर 1.00 बजे तक रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला न्यायालय, भोपाल में जमा कर सकते हैं। निविदा उक्त दिनांक को सायंकाल 4.00 बजे आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रलेख/आवेदन राशि रूपये 100/– नगद जमा करने पर नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, भोपाल से दिनांक 10–01–2023 तक कार्यालयीन समय तक प्राप्त किए जा सकेंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

<u>कार्यालय--प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)</u>

<u>//निविदा प्रलेख//</u>

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल में अनुबंध निष्पादित कराये जाने की दिनांक .... से दिनांक ....(एक वर्ष) तक की अवधि के लिए वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु विस्तृत विवरण एवं शर्ते निम्नानुसार है :-

1. निविदा फार्म/आवेदन के साथ राशि रुपए **26,500X3= 79,500/-** तीन माह का अग्रिम किराया, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के नाम जमा करना होगा, जो कि निविदा स्वीकृत न होने के दशा में वापसी योग्य होगी एवं स्वीकृति की दशा में संबंधित निविदाकर्ता की राशि अमानत के रूप में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
2. वाहन स्टैंड हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि (मासिक किराया) की न्यूनतम दर-राशि रुपए 26,500/- प्रतिमाह होगी।
3. वाहन स्टैंड हेतु निर्धारित राशि रुपए **1,00,000**/-(रूपये एक लाख मात्र) अमानत/सुरक्षानिधि के रूप में एफ.डी.आर. के माध्यम से (रूपये 79,500/- के अतिरिक्त) जो कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. निविदा स्वीकृति उपरांत टेण्डर की शर्तों के अनुसार अनुबंध--पत्र (ठेका कार्य) निष्पादित न करने की दशा में सुरक्षानिधि की राशि बिना सूचना के जब्त कर ली जाएगी तथा नए टेंडर प्रक्रिया का खर्च व क्षतिपूर्ति के रूप में राशि वसूली की जाऐगी।
5. वाहन स्टैण्ड संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिए दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुए निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। समिति के निर्णय के संबंध में निविदाकर्ता को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।
6. विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा अनुभव प्राप्त बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

7० वाहन स्टैण्ड के संचालन का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार कराना आवश्यक होगा।

8० मासिक प्रीमियम राशि लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की दशा में तथा निर्धारित पार्किंग शुल्क से अधिक शुल्क लिए जाने की दशा में अमानत राशि जब्त कर ठेका तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

9० वाहन स्टैण्ड संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो।

10. वाहन स्टैण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस समय में एवं समय-समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही किया जाएगा।
11. वाहन स्टैण्ड संचालन के दौरान आवंटित स्थान पर किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/वाहन स्टेण्ड में भौतिक परिवर्तन/संरचना नहीं की जावेगी।

12. वाहन स्टैण्ड संचालन में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय संचालन के लिये आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को प्रस्तावित अस्थाई निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे, किन्तु उक्त प्रस्ताव शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो।
13. वाहन स्टैण्ड हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।
14. वाहन स्टैण्ड हेतु आवंटित स्थान को अनुबंधकर्ता किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकते। वाहन हेतु आवंटित स्थान पर वाहन सुव्यवस्थित रूप से रखवाने की जवाबदेही अनुबंधकर्ता की ही होगी। ताकि पक्षकारों एवं वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो।
15. साईकिल/दो पहिया/चार पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा

01–	साइकिल	–	रू. 2/– प्रतिदिन
02–	दो पहिया वाहन	–	रू. 5/– प्रतिदिन
03–	तीन पहिया वाहन	–	रू. 7/– प्रतिदिन
04–	चार पहिया वाहन	–	रू. 10/– प्रतिदिन

16. वाहन स्टेण्ड संचालक को वाहन पार्किंग करने पर उन्हें टोकन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। वाहन के चोरी चले जाने या क्षतिग्रस्त होने पर अनुबंधकर्ता उत्तरदायी होगा।
17. पार्किंग शुल्क सूची कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त आम जनता को पढ़ने हेतु लगाई जावे एवं निर्धारित दर पर ही आम जनता से पार्किंग शुल्क लिया जावे।
18. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत अनुबंधित अवधि के मध्य में ही कार्य बंद करने या छोड़ने की दशा में सम्पूर्ण जमा अमानत/सुरक्षा निधि के रूप में जमा की गई राशि रूपये 1,00,000/– जब्त कर ली जाएगी, जो किसी परिस्थिति/प्रकरण में देय नहीं होगी।
19. अनुबंधित संस्था वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा। जो आपराधिक पृष्ठभूमि में संलिप्त न रहे हो। नियुक्त व्यक्तियों की सूची जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट भोपाल से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुमोदन पश्चात ऐसे नियुक्त व्यक्तियों को अनुबंधित संस्था उन्हें पहचान–पत्र जारी करेगा जो न्यायालय समय के दौरान संबंधित को धारण करना अनिवार्य होगा।
20. वाहन स्टैण्ड संचालन की अनुबंध अवधि समाप्त होने की दशा में, वाहन स्टेण्ड संचालन की अवधि में वृद्धि/अनुमति देने का क्षेत्राधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल का होगा।
21. निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाए जाने की दशा में निविदाकर्ता के आवेदन पर समिति द्वारा अनुबंध की अवधि संशोधित या नवीनीकृत बढ़ी हुई दर पर आगामी एक वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है।
22. जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जाएगी उसे मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) कमांक 353 भोपाल दिनांक 08.08.2014 रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य संबंधित फीस के अनुच्छेद तीन के नियम (ङ) सेवा या किराये का करार राशि रूपये 500/– का अनुबंध–पत्र गैर न्यायिक स्टाम्प पर तीन दिवस के अंदर निविदा की शर्तों की पूर्ति करने बाबत् निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

23. ठेका कार्य के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण जिला न्यायालय भोपाल में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के निर्णय के विरुद्ध आपत्ति/अपील प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी एवं उनका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

24. स्टैण्ड संचालन हेतु किया गया अनुबंध किसी भी समय बिना कारण बताए एवं बिना नोटिस दिये निरस्त करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के पास सुरक्षित होगा। निरस्त किये गये अनुबंध की दशा में वाहन स्टैण्ड का संचालन अविलंब बंद करना होगा। वाहन स्टेण्ड का संचालन बंद नहीं करने की दशा में वाहन स्टेण्ड के स्थान को रिक्त रिक्त कराने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के पास सुरक्षित रहेंगा और इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

25. न्यायालय शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन/सार्वजनिक अवकाश में बंद रहने की दशा में किसी भी प्रकार से किराये की दर में रियायरत/छूट नहीं दी जावेगी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)